लोक अभिलेख अधिनियम, 1993

1993 का संख्यांक 69

(22 दिसम्बर, 1993)

केन्द्रीय सरकार अथवा किसी संघ शासित क्षेत्र के प्राशासन द्वारा गठित समितियों तथा आयोगों, सांविधिक निकायों तथा निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों, केन्द्रीय सरकार के लोक अभिलेख के प्रबंधन, प्रशासन तथा परिरक्षण और इससे जुड़े मामलों या अनुषंगी मामलों को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम।

यह भारत के गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो : -

1. (1) इस अधिनियम का नाम लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 होगा।

(2) यह केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से नियत की गई दिनांक से लागू होगा।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

क. 'बोर्ड' का अर्थ धारा 13 की उप-धारा (1) के तहत गठित अभिलेखीय सलाहकार बोर्ड से है;

ख. "महानिदेशक" का आशय केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक, अभिलेखागार से है तथा इसमें महानिदेशक का कर्त्तव्य निभाने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी शामिल है।

ग. "अभिलेखागार का प्रमुख" से आशय उस व्यक्ति से है जिसने संघ राज्य क्षेत्र के अभिलेखागार का पदभार ग्रहण किया हुआ है;

घ. "विहित" का आशय इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा विहित किए जाने से है;

ड. "लोक अभिलेख" में सम्मिलित है -

i. कोई भी दस्तावेज, पाण्डुलिपि तथा फाइल;

ii. किसी दस्तावेज की माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे तथा प्रतिकृति;

iii. इस प्रकार की माइकोफिल्म में सन्निहित चित्र या चित्रों की कैसी भी प्रतिलिपि बनाना (चाहे विवर्धित हो या नहीं); और

iv. किसी अभिलेख सृजक एजेंसी के किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य डिवाइस द्वारा सृजित कोई अन्य सामग्री;

च. "अभिलेख सृजक एजेंसी" में सम्मिलित है,-

i. केन्द्रीय सरकार के संबंध में, इस सरकार से संबंधित कोई मंत्रालय, विभाग अथवा कार्यालय;

ii. केन्द्रीय सरकार अथवा उस सरकार गठित आयोग या किसी समिति द्वारा पूर्णत: या पर्याप्तत: नियंत्रित अथवा वित्त पोषित किसी सांविधिक निकाय या निगम, आयोग या समिति के कार्यालय;

iii. किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, उस राज्यक्षेत्र का कोई विभाग या कार्यालय;

iv. संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पूर्णत: या पर्याप्तत: नियंत्रित अथवा वित्तपोषित किसी सांविधिक निकाय अथवा निगम के संबंध में उस सरकार, उक्त निकाय, निगम, आयोग या समिति के कार्यालय;

छ. "अभिलेख अधिकारी" से अर्थ धारा 5 की उप धारा (1) के तहत अभिलेख सृजक एजेंसी द्वारा नामित अधिकारी से है।

3. केन्द्रीय सरकार के पास इस अधिनियम के अधीन लोक अभिलेखों के प्रशासन, प्रबंध, परिरक्षण, चयन, व्ययन और निवृत्ति से संबंधित संक्रियाओं का समन्वय, विनियमन और पर्यवेक्षण करने की शक्ति होगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, धारा 2 के खंड (च) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट अभिलेख सर्जक अभिकरणों के लोक अभिलेखों के संबंध में और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, उक्त खंड के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट अभिलेख सर्जक अभिकरणों के लोक अभिलेखों के संबंध में, आदेश द्वारा यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार के प्रमुख को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों को करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, अर्थात्:-

i. अभिलेखागार का पर्यवेक्षण, प्रबंध और नियंत्रण करना;

ii. ऐसी अवधि के पश्चात् जो विहित की जाए, स्थायी प्रकृति के लोक अभिलेखों को निक्षिप्त करने के लिए स्वीकार करना;

iii. लोक अभिलेखों की अभिरक्षा, उनका उपयोग और वापस लिया जाना;

iv. लोक अभिलेखों की व्यवस्था, परिरक्षण और प्रदर्शन करना;

v. लोक अभिलोखों की तालिकाएं, अनुक्रमणिकाएं, सूची और अन्य संदर्भ माध्यम तैयार करना;

vi. अभिलेख प्रबंध पद्धति के सुधार के लिए, स्तरमानों, प्रक्रियाओं और तकनीकों का विश्लेषण, विकास, संवर्धन और समन्वय करना;

vii. अभिलेखागार और अभिलेख सर्जक अभिकरण के कार्यालयों में लोक अभिलेखों को अनुरक्षण, व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करना;

viii. लोक अभिलेखों के परिरक्षण के लिए उपलब्ध स्थान के उपयोग का संवर्धन करना और उपस्करों का अनुरक्षण करना;

ix. अभिलेखों के संकलन, वर्गीकरण और व्ययन की बाबत और अभिलेख प्रबंध के स्तरमानों, प्रक्रियाओं और तकनीकों का अनुप्रयोग करने के संबंध में अभिलेख सर्जक अभिकरणों को सलाह देना;

x. लोक अभिलेखों का सर्वेक्षण और निरीक्षण करना;

xi. अभिलेखागार प्रशासन ओर अभिलेख प्रबंध की विभिन्न शाखाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;

xii. किसी प्राइवेट स्रोत से अभिलेख स्वीकार करना;

xiii. लोक अभिलेखों तक पहुंच विनियमित करना;

xiv. निष्क्रिय निकायों के अभिलेख प्राप्त करना और राष्ट्रीय आपात काल की दशा में लोक अभिलेख प्राप्त करने की व्यवस्था करना;

xv. अभिलेख अधिकारी से अभिलेख प्रबंध और व्ययन पद्धति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करना;

xvi. लोक अभिलेखों की अधिप्रमाणित प्रतियां या उनसे उद्धरण उपलब्ध कराना;

xvii. लोक अभिलेखों को नष्ट करना या उनका व्ययन करना;

xviii. ऐतिहासिक या राष्ट्रीय महत्व के किसी दस्तावेज को पट्टे पर प्राप्त करना अथवा उसे क्रय करना या दान के रूप में सवीकार करना।

4. कोई भी व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई लोक अभिलेख न तो भारत के बाहर ले जाएगा और न भिजवाएगा;

परन्तु यदि कोई अभिलेख किसी शासकीय प्रयोजन के लिए भारत के बाहर ले जाए जाते है या भेजे जाते है तो ऐसा पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा।

5. (1) प्रत्येक अभिलेख सर्जक अभिकरण इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अपने किसी अधिकारी को अभिलेख अधिकारी के रूप में नामनिर्देशित करेगा।

(2) प्रत्येक अभिलेख सर्जक अभिकरण ऐसा संख्या में और ऐसे स्थानों, जो वह उचित समझे, अभिलेख कक्षों की स्थापना कर सकेगा और प्रत्येक अभिलेख कक्ष का प्रभार किसी अभिलेख अधिकारी को सौंपा जाएगा।

6. (1) अभिलेख अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात् :-

i. अपने प्रभार के अधीन लोक अभिलेखों की उचित व्यवस्था, अनुरक्षण और परिरक्षण करना ;
ii. सभी लोक अभिलेखों का आवधिक पुनर्विलोकन करना और अल्पकालिक महत्व के लोक अभिलेखों को छंटाई करना ;
iii. स्थायी महत्व के लोक अभिलेखों की प्रतिधारित करने की दृष्टि से पच्चीस वर्ष से अधिक पुराने अभिलेखों का, यथास्थिति, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार या संघ राज्यक्षेत्र के अभिलेखागार से परामर्श करके अंकन करना ;
iv. लोक अभिलेखों को ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए नष्ट करना जो धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित की जाएं;
v. लोक अभिलेखों के लिए, यथास्थिति, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार या संघ राज्य क्षेत्र के अभिलेखागार के परामर्श करके, प्रतिधारण अनुसूची का संकलन करना;
vi. वर्गीकृत लोक अभिलेखों की श्रेणी कम करने के लिए उनका ऐसी रीति से आवधिक पुनर्विलोकन करना जो विहित की जाए;
vii. अभिलेख प्रबंध पद्धति में सुधार के लिए, और लोक अभिलेखों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए ऐसे मानकों प्रक्रियाओं और तकनीकों को अपनाना, जिनकी भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा समय-समय पर सिफारिश की जाए;
viii. लोक अभिलेखों की वार्षिक अनुक्रमणिकाओं का संकलन करना;
ix. लोक संगठनात्मक इतिवृत्त और उसके वार्षिक अनुपूरक का संकलन करना;
x. लोक अभिलेख प्रबंध के लिए, यथास्थिति, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार या संघ राज्य क्षेत्र के अभिलेखागार को सहायता प्रदान करना;

xi. यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान को वार्षिक रिपोर्ट ऐसी रीति से प्रस्तुत करना, जो विहित की जाए;

xii. किसी निष्क्रिय निकाय के अभिलेखों का, यथास्थिति, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार या संघ राज्य क्षेत्र के अभिलेखागार को परिरक्षण के लिए अन्तरण करना।

(2) अभिलेख अधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते समय, यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार के प्रमुख के निदेशानुसार कार्य करेगा।

7. (1) अभिलेख अधिकारी, अपने भारसाधन में के किन्हीं लोक अभिलेखों के अनधिकृत हटाए जाने, नष्ट किए जाने, विरूपित किए जाने या परिवर्तित किए जाने की दशा में, ऐसे लोक अभिलेखों को बरामद करने या पुन: प्राप्त करने के लिए तुरन्त समुचित कार्रवाई करेगा।

(2) अभिलेख अधिकारी, अपने भारसाधन में के लोक अभिलेखों के अनधिकृत हटाए जाने, नष्ट किए जाने, विरूपित किए जाने या परिवर्तित किए जाने के बारे में तथा अपने द्वारा प्रारंभ की गई किसी कार्रवाई के बारे में किसी जानकारी के संबंध में लिखित रिपोर्ट, यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान को बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत करेगा, और यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रमुख द्वारा दिए गए निदेशों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, ऐसी कार्रवाई करेगा, जो वह आवश्यक समझे।

(3) अभिलेख अधिकारी, लोक अभिलेखों को बरामद करने या पुन: प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी सरकारी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता प्राप्त कर सकेगा और ऐसा अधिकारी या व्यक्ति ऐसे अभिलेख अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा।

8. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी लोक अभिलेख को ऐसी रीति से ही और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, नष्ट किया जाएगा या उसका अन्यथा व्ययन किया जाएगा।

(2) वर्ष 1892 के पूर्व सृजित किसी भी अभिलेख को तब तक नष्ट नहीं किया जाएगा जब, यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रमुख की राय में वह इस प्रकार विरूपित हो गया है या ऐसी दशा में है कि उसे किसी अभिलेखागार संबंधी उपयोग में नहीं लाया जा सकता।

9. जो कोई धारा 4 या धारा 8 के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

10. सुरक्षा वर्गीकरण वाले किसी लोक अभिलेख का भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार या संघ राज्य क्षेत्र के अभिलेखागार को अंतरण नहीं किया जाएगा।

11. (1) भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार या संघ राज्य क्षेत्र का अभिलेखागार ऐतिहासिक या राष्ट्रीय महत्व के किसी अभिलेख को किसी प्राइवेट स्रोत से दान के रूप में, क्रय द्वारा या अन्यथा स्वीकार कर सकेगा।

(2) यथास्थिति, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार या संघ राज्य क्षेत्र का अभिलेखागार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई लोक अभिलेख, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं सदाशयी अनुसंधानविद् को उपलब्ध करा सकेगा।

12. (1) ऐसे सभी अवर्गीकृत लोक अभिलेख, जो तीस वर्ष से अधिक पुराने हैं और जिनका भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार या किसी संघ राज्य क्षेत्र के अभिलोखागार को अंतरण कर दिया गया है, ऐसे अपवादों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, सदाशयी अनुसंधानविद् को उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, तीस वर्ष की अवधि की गणना, लोक अभिलेखों के प्रारंभ किए जाने के वर्ष से की जाएगी।

(2) कोई भी अभिलेख सर्जक अभिकरण, अपनी अभिरक्षा में के किसी लोक अभिलेख तक किसी व्यक्ति की ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए पहुंच होने देगा, जो विहित की जाएं।

13. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अभिलेखीय सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकेगी।

(2) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्,-

(क) केन्द्रीय सरकार के संस्कृति कार्य से संबंधित मंत्रालय में भारत सरकार का सचिव –पदेन अध्यक्ष;

(ख) मंत्रिमंडल सचिवालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में से प्रत्येक का एक-एक अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले दो प्रतिनिधि जो संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में संयुक्त सचिव के पद से नीचे के न हों।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नामनिर्देशित किए जाने वाले तीन व्यक्ति जिनमें एक अभिलेखाध्यक्ष हों और जिनमें से दो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के इतिहास के स्नातकोत्तर विभाग के आचार्य हों।

(ड.) उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों को ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा, जो विहित किए जाए।

14. बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्-

(क) लोक अभिलेखों के प्रशासन, प्रबंध, परिरक्षण और उपयोग से संबंधित मामलों पर केन्द्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह देना;

(ख) अभिलेखाध्यक्षों के प्रशिक्षण से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करना;

(ग) प्राइवेट अभिरक्षा से अभिलेखों के अर्जन के लिए निदेश देना;

(घ) ऐसे अन्य विषयों के संबंध में कार्रवाई करना, जो विहित किए जाएं।

15. महानिदेशक के पास अभिलेखागार संबंधी विज्ञान और अन्य अनुषंगिक विषयों में प्रशिक्षण से संबंधित पाठ योजना, पाठ्यचर्या, निर्धारण और परीक्षाओं के लिए मानक और स्तरमान अधिकथित करने की शक्ति होगी।

16. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी बात, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां किसी व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होगी।

17. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् : –

i. वह अवधि जिसके पश्चात् स्थायी प्रकृति के लोक अभिलेखों को धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन स्वीकार किया जा सकेगा;

ii. वह रीति जिससे और वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए, लोक अभिलेखों को धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नष्ट किया जा सकता है;

iii. वह रीति जिससे श्रेणी कम करने के लिए वर्गीकृत लोक अभिलेखों का कालिक पुनर्विलोकन धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन किया जाएगा;

iv. वह रीति जिससे अभिलेख अधिकारी, धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ट) के अधीन महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान को रिपोर्ट देगा;

v. वह रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, लोक अभिलेखों को धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन नष्ट किया जा सकेगा या उनका व्ययन किया जा सकेगा;

vi. वह रीति जिससे और वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए, ऐतिहासिक या राष्ट्रीय महत्व के अभिलेख, धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन अनुसंधानिवदों को उपलब्ध कराए जा सकेंगे;

vii. वे अपवाद और निबंधन जिनके अधीन रहते हुए, लोक अभिलेख धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन किसी अनुसंधानविद को उपलब्ध कराए जा सकेंगे;

viii. वह रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, कोई अभिलेख सर्जक अभिकरण, अपनी अभिरक्षा में के किसी लोक अभिलेख तक, धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति की पहुंच होने देगा;

ix. धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के सदस्यों को संदेय भत्ते;

x. वे विषय जिनकी बाबत बोर्ड धारा 14 के खंड (घ) के अधीन अपने कृत्यों का पालन कर सकेगा;

xi. कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए।

18. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

के. एल. मोहनपुरिया,

सचिव, भारत सरकार